निर्णय बइजलास श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़, जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या :–145 / 2025 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक :– 18 / 12 / 2025
निर्णय दिनांकः– 14 / 01 / 2026

अनवान

1. चुन्नीलाल पिता नानालाल टांक जाति कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।

प्रार्थी

बनाम

1. सहकारी समिति मोखुन्दा जरिये अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश जैन पिता भंवरलाल जैन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
2. सहकारी समिति मोखुन्दा जरिये व्यवस्थापक रोशनलाल लोहार पिता बसंतीलाल जाति लोहार निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
3. सहकारी समिति मोखुन्दा जरिये सह–व्यवस्थापक संजय व्यास पिता प्रकाशचन्द्र व्यास जाति ब्राहमण निवासीमोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।

अप्रार्थीगण

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से– श्री धर्मेश शर्मा, अधिवक्ता।
अप्रार्थी की ओर से–– श्री प्रमोद लक्षकार, अधिवक्ता।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि राजस्व ग्राम दातडा, पटवार हल्का माद, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या नया 230 व पुराना 211 आराजी संख्या 693 किता 01 रकबा 0.1000 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजी भूमि में प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 के संयुक्त खातेदारी में होकर प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 4. 5. 6 अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी की नकल प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में स्थित आराजी प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य की है, जिस पर प्रार्थी मालिक, काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है, उक्त भूमि से विपक्षी संख्या 1. 2. 3 का कोई लेना देना नहीं है प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, किन्तु

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

विपक्षी संख्या 1, 2, 3 द्वारा नाजायज रूप से आपराधिक षडयंत्र रचते हुए, प्रार्थी की बिना सहमति, स्वीकृति के प्रार्थी की खातेदारी जमीन मे अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर प्रार्थी की खातेदारी जमीन मे अवैध रूप से निर्माण कार्य करने पर आमादा है, प्रार्थी द्वारा मना करने पर भी विपक्षी संख्या 1, 2, 3 नहीं मान रहे है। जब कि विपक्षी संख्या 1. 2. 3 का प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित भूमि से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी विपक्षी संख्या 1. 2. 3 गुण्डागिरदी एवं दादागिरी के बल पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर अवैध रूप से निर्माण करने पर आमादा हो रहे है, जिसका विपक्षी संख्या 1, 2, 3 को कोई विधिक हक, अधिकार प्राप्त नहीं है, विपक्षी संख्या 1, 2, 3 को प्रार्थी द्वारा मना करने पर भी नहीं मान रहे है. विपक्षी संख्या 1, 2, 3 ने पूर्व में भी प्रार्थी की खातेदारी जमीन में अवैध रूप से प्रवेश करते हुए अवैध रूप से निर्माण करा दिया है एवं अब फिर से प्रार्थी की बिना सहमति, स्वीकृति के प्रार्थी की खातेदारी भूमि में विपक्षी संख्या 1. 2. 3 द्वारा निर्माण कराने पर आमादा हो रहे है. जो कानूनी रूप से विधि विरुद्ध है, विपक्षी संख्या 1. 2. 3 का पेरा संख्या 1 में वर्णित भूमि से कोई लेना देना नही है एवं न ही कोई हक, अधिकार प्राप्त नही है। विपक्षीगण जोर जबरदस्ती, शक्ति एवं गुण्डागिरदी के बल पर प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की भूमि मे नाजायज रूप से प्रवेश कर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण करने के लिए आमादा हो रहे है, एवं प्रार्थी को उसके खातेदारी भूमि से बेदखल करने पर आमादा है, जब कि ऐसा करने का उन्हे कोई कानूनी हक, अधिकार प्राप्त नहीं है। विपक्षी संख्या 1, 2, 3 कह रहे है कि हम तुम्हारी खातेदारी जमीन मे जबरन कब्जा कर पक्का निर्माण करायेगे, हमारा कोई कुछ नही बिगाड सकता है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित भूमि मे विपक्षी संख्या 1, 2. 3 जबरन निर्माण करने पर आमादा हो रहे है, जिस हेतु विपक्षी संख्या 1. 2. 3 जेसीबी मशीन लाकर प्रार्थी के चद्दर को तोड दिये एवं दिवार निर्माण करने पर उतारू हो गये है, प्रार्थी द्वारा मना करने पर भी नही मान रहे है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1, 2, 3 के विरूद्ध पुलिस थाना आमेट पर दिनांक 09.12.2025 को कार्यवाही हेतु रिपोर्ट दी जिस पर पुलिस मौके पर आई एवं विपक्षीमण को काम नहीं करने हेतु पाबंद किया, तब विपक्षीगण ने उक्त काम बन्द कर दिया, किन्तु दो दिन पश्चात् पुनः काम करना शुरू कर दिया, जिस पर प्रार्थी द्वारा पुनः दिनांक 13.12.2025 को कार्यवाही हेतु पुलिस थाना आमेट पर रिपोर्ट दी. जिस पर पुलिस थाना आमेट द्वारा विपक्षी संख्या 1. 2. 3 के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया जिसके एफ.आई.आर. नम्बर 302/2025 थाना आमेट है एवं प्रार्थी द्वारा जिला कलक्टर महोदय राजसमंद, उपखण्ड अधिकारी महोदय एवं तहसीलदार साहब देवगढ़ को भी उक्त संबंध मे रिपोर्ट दी गई, फिर भी विपक्षी 1, 2, 3 नही मान रहे है एवं जबरन गुण्डागिरदी एवं दादागिरी के दम पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे निर्माण करने पर आमादा हो रहे है, जब कि विपक्षीगण सहकारी समिति मौखुन्दा जिला भीलवाडा में आती है एवं प्रार्थी की खातेदारी भूमि गांव दांतडा तहसील देवगढ जिला राजसमंद में स्थित है एवं विपक्षी संख्या 1. 2. 3 को प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे अनाधिकृत प्रवेश कर निर्माण करने का कोई अधिकार नही है। इसलिए प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 1, 2, 3 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 मे वर्णित खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का अतिचार, अतिक्रमण, निर्माण नहीं करे, प्रार्थी की भूमि मे प्रवेश नहीं करे, प्रार्थी को बेदखल नहीं करे एवं प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, रूकावट उत्पन्न नहीं करे, हस्तक्षेप नहीं करे, यह कार्य न तो स्वयं करे एवं न ही अपने नोकर, चाकर, एजेन्ट, मजदुरी,

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

कर्मचारी आदि से करावें, दौराने वाद विपक्षी संख्या 1. 2. 3 द्वारा प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि मे अनाधिकृत प्रवेश कर तोडफोड कर लेवे, निर्माण कर लेवे तो विपक्षी संख्या 1, 2, 3 के खर्चे पर पुनः आदेशात्मक आज्ञप्ति द्वारा पूर्ववत स्थिति कायम कराई जावें जिस हेतु यह वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टिया मामला होकर सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है एवं जहां तक अपूर्णिय क्षति का प्रश्न है यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की खातेदारी, कब्जेशुदा भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा कर लेगा एवं अवैध रूप से निर्माण कर लेगा तो प्रार्थी को भारी अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ में कदापि सम्भव नहीं होगी। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 1, 2, 3 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का अतिचार, अतिक्रमण, निर्माण नहीं करे, प्रार्थी की भूमि में प्रवेश नहीं करे, प्रार्थी को बेदखल नही करे एवं प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, रूकावट उत्पन्न नही करे, हस्तक्षेप नही करे, मौके की स्थिति में परिवर्तन नही क़रे। यह कार्य न तो स्वयं करे एवं न ही अपने नोकर, चाकर, एजेन्ट, मजदुरी, कर्मचारी आदि से करावें। दौराने प्रार्थना विपक्षी संख्या 1, 2, 3 द्वारा प्रार्थी के खातेदारी भूमि मे अनाधिकृत प्रवेश कर तोडफोड कर देवे, निर्माण कर देवे तो विपक्षी संख्या 1, 2, 3 के खर्चे पर पुनः आदेशात्मक आज्ञप्ति द्वारा पूर्ववत स्थिति कायम कराई जावे। अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे दिलाई जावें। ताईद में शपथ पत्र पेश है।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02 एवं 03 की ओर से जवाब मय प्रत्रि प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। जवाब निम्नानुसार है कि कलम संख्या क वर्णित तथ्य स्वीकार नहीं है प्रार्थी द्वारा मिथ्या और मनगढ़त तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है इसलिए उसके सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित तक के आशिंक रूप से स्वीकार है ग्राम दांतडा पटवार हल्का माद के आराजी नंबर 693 रकबा 0.1000 हैक्टर भूमि स्थित है परंतु उक्त भूमि प्रार्थी के हक अधिकार की नहीं होकर विपक्षीगण सहकारी समिति मोखुन्दा के कानून हक अधिकार व आधिपत्य की है जिसका विस्तृत उत्तर विशेष कथन प्रतिपवाद में दिया गया है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित तथ्य अस्वीकार हैं, वादग्रस्त भूमि पर विपक्षीगण सहकारी समिति मौखुन्दा व प्रतिवादीगण संख्या 4, 5, एवं 6 काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अस्वीकार हैं, कलम संख्या 3 में वर्णित सारे तथ्य मनगढ़ंत व झूठे हैं, विपक्षीगण संख्या 1, 2 एवं 3 कभी भी वादग्रस्त भूमि पर गुंडागिरी व ताकत के बल पर भूमि में प्रवेश नहीं किया बल्कि वर्षों से उक्त भूमि पर सहकारी समिति मोखुन्दा का कब्जा चला आ रहा है और सहकारी समिति मौखुन्दा इसका उपयोग उपभोग कर रही हैं, विवादग्रस्त भूमि पर कभी प्रार्थी का कब्जा नहीं रहा है, विपक्षीगण संख्या 1, 2 एव 3 को बेदखल करने के सारे तथ्य मनगढ़ंत है इसका विस्तृत उत्तर विशेष कथन में दिया गया है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 अस्वीकार है. विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है, सरकारी समिति मौखुन्दा का 1982 से निरंतर कब्जा चला आ रहा है और वही उपयोग उपभोग कर रही है, विपक्षीगण संख्या 1, 2 एवं 3 उक्त भूमि के दान प्राप्तकर्ता हैं और उक्त भूमि के पूर्वाधिकारियों द्वारा विवादग्रस्त भूमि सहकारी समिति मोखुन्दा को मौखिक रूप से दान दी गई और उसके बाद सहकारी समिति मोखुन्दा द्वारा

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

लाखों रुपए खर्च कर उक्त भूमि के चारों तरफ दीवार बनाई और उक्त भूमि पर पक्का निर्माण करवाया, जिस पर सहकारी समिति मोखुन्दा काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है, उल्टे प्रार्थी द्वारा जबरन विवादग्रस्त भूमि में प्रवेश कर रातों–रात चद्दर लगवा दिए एवं अनाधिकृत पूर्वक जबरन जमीन में कब्जा करने का प्रयास किया तब गांव के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया तब इसकी आमसभा आयोजित की गई सभी ग्रामीणों और मौतबीरो द्वारा चद्दर हटाए जाने के संबंध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया तथा इसके संबंध में सहकारी समिति मोखुन्दा द्वारा चद्दर हटाने को लेकर मौखिक सूचना प्रार्थी को दी गई और उनके द्वारा चद्दर नहीं हटाए जाने पर सहकारी समिति मोखुन्दा द्वारा वादग्रस्त भूमि पर से चद्दर हटाए गए। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 अस्वीकार हैं प्रार्थी का किसी प्रकार से प्रथम दृष्टिया मामला नहीं है, और ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं, जमीन पर विपक्षी का कब्जा विगत 50 वर्षों से अधिक समय से चला आ रहा है और प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है और ना ही वह इसका उपयोग उपयोग कर रहा है, तो प्रार्थी को कोई क्षति भी नही होने वाली है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 6 कानूनी है। प्रार्थी का प्रार्थना अस्वीकार किया जाकर प्रार्थी किसी प्रकार से निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त होकर खारीज होने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 01, 02 एवं 03 द्वारा प्रति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम सरकारी समिति की स्थापना 1960 में की गई तथा उसके बाद उक्त भूमि पर एक पट्टा जारी किया गया तथा पट्टा जारी किया जाने के बाद में विवादग्रस्त स्थल पर निर्माण कराया गया, 1960 में उक्त भूमि पर सहकारी समिति की बिल्डिंग का निर्माण कराया गया, निर्माण कराए जाने के बाद 20 वर्षों तक सहकारी समिति उपरोक्त बिल्डिंग में अपना कामकाज किया करती चली आई थी। कालांतर में भूमि काफी कम होने से तथा सहकारी समिति को भूमि की और आवश्यकता हुई तब उक्त भूमि के पूर्ववाधिकारी श्री प्रताप सिंह जी द्वारा सहकारी समिति को उक्त भूमि को मौखिक व लिखित रूप से दान दी गई तथा मौके पर कब्जा भी सहकारी समिति को सुपुर्द कर दिया गया। भूमि काफी कम थी और भूमि कम होने के कारण जो सरकार द्वारा खाद बीज व अन्य सामग्री प्राप्त होती थी, उसे रखने की जगह नहीं होने के कारण पूर्ति निरंतर निरस्त होती रही और उस क्षेत्र के कृषको को भारी नुकसान होता रहा तथा आसपास कोई सरकारी भूमि नहीं थी, इस कारण सहकारी समिति का समुचित विकास नहीं हो पा रहा था और न हीं कृषकों को समुचित लाभ मिल पा रहा था। यह की विवादग्रस्त भूमि के पूर्वाधिकारी प्रताप सिंह जी ने जब मौखिक रूप से दान कर कब्जा सरकारी समिति को सुपुर्द किया तब राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि के लिए 1980 के आसपास 15000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये विवाद ग्रस्त भूमि के चारों तरफ बाउंड्री वॉल करने के लिए जारी किए गए। राजस्थान सरकार द्वारा प्राप्त रूपयों से उक्त भूमि के चारों तरफ बाउंड्री वॉल निर्माण किया गया और बाहर की तरफ एक फाटक लगाई गई जो बाउंड्रीवॉल आज भी मौजूद हैं तथा उस पर सरकारी समिति की फाटक लगी होकर ताला लगा हुआ है एवं एक बोर्ड लगा हुआ है जो आज से लगभग 25 वर्ष पुराना है जो विद्यमान है। उसके बाद भी विवादग्रस्त भूमि पर सरकार द्वारा प्राप्त राशि से निरंतर निर्माण कराया जाता रहा और कमरे आदि निर्माण कराए गए तथा संपूर्ण भूमि का उपयोग उपभोग लगातार 1980 के बाद से क्रय विक्रय सहकारी समिति ही कर रही हैं। भूमि मौखिक एवं लिखित रूप से दान की गई थी, तो उसके उपरांत उक्त भूमि के चारों तरफ

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

बाउंड्री वॉल बनाई गई थी और उस पर उपयोग उपभोग सहकारी समिति कर रही थी परंतु संपत्ति को लेकर भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो, इसको लेकर बाउंड्री वॉल निर्माण होने के पश्चात प्रताप सिंह जी द्वारा स्वयं एक दानपत्र का ज्ञापन (मेमोरण्डम) सहकारी समिति मोखुन्दा के पक्ष में निष्पादित कर उसे पर अपने हस्ताक्षर वह अपने परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर कर ज्ञापन (मेमारन्डम) सहकारी समिति को सिपुर्द कर दी गयी। प्रताप सिंह जी गांव दांतडा ठिकाना के ठाकुर साहब थे और दांतडा और मोखुन्दा सटमा होने से तथा उन्होंने गांव के विकास के लिए कई भूमिया दान दी उनमें एक जमीन सहकारी समिति मोखुन्दा को भी दान दी इसके साथ उन्होंने पशु चिकित्सालय मोखुन्दा और आंगनबाड़ी केंद्र मोसुन्दा को भी भूमिया दान दी और सहकारी समिति, आंगनवाड़ी एवं पशु चिकित्सालय की भूमियों पर आज भी इनके भवन बने हुए हैं। कालांतर में प्रताप सिंह जी को जब भी रुपयो की आवश्यकता होती वह अपनी भूमियों का विक्रय करते और उनका काफी लेनदेन प्रार्थी से था इसलिए प्रताप सिंह जी को जब भी रुपए की आवश्यकता होती है वह प्रार्थी से रुपया ले जाते और और यदि रूपयों की अदायगी नहीं हो पाती तो वह अपने खातेदारी भूमिया प्रार्थी के नाम विक्रय पंजीयन करवा देते हैं। प्रार्थी द्वारा प्रताप सिंह जी से भूमि का विक्रय पंजीयन अपने नाम पर करवाया परंतु प्रताप सिंह जी को मुगालते में रखते हुए उन भूमियों का पंजीयन भी अपने नाम पर करवा लिया जो भूमिया पूर्व में प्रताप सिंह जी द्वारा सहकारी समिति मोखुन्दा आंगनवाड़ी एवं पशु चिकित्सालय को दान कर दी थी, प्रताप सिंह जी स्वयं जीवन भर यह समझते रहे कि जो भूमिया उन्होंने दान दी उनके संबंध में दान पत्र निष्पादित कर दिए हैं तथा दान प्राप्तकर्ता ने भूमि अपने नाम पर करवा ली होगी और वह निश्चिन्त हो भूमियों का विक्रय पंजीयन निष्पादित कर देते, यहां तक की स्वयं प्रार्थी भी यह समझता रहा की उसने जो भूमिया खरीदी है वह सरकारी समिति मोखुन्दा, आंगनबाड़ी व पशु चिकित्सालय के अलावा की भूमि है। दान प्राप्तकर्ता निरंतर अपनी भूमियों पर निर्माण करते रहे और निर्माण की संपूर्ण जानकारी प्रार्थी को थी और प्रार्थी स्वयं यह समझता था कि यह भूमिया दान प्राप्तकर्ता की स्वयं की हैं और वह उन पर निर्माण कर रहे हैं यहां तक की 2016 में इसी भूमि पर सहकारी समिति द्वारा भवन निर्माण कराया गया जिसकी जानकारी भी प्रार्थी को अच्छी तरह से थी और स्वयं प्रार्थी ने यह स्वीकार किया कि सहकारी समिति मोखुन्दा द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर पूर्व में निर्माण करवाया गया तथा ग्राम पंचायत मोखुन्दा के द्वारा उक्त समिति का एक पटट्टा जारी किया गया जिसमें उक्त भूमि को सम्मिलित करते हुए बनाया गया जिसमें प्रार्थी एवं ठाकुर साहब प्रतापसिंह जी से लिखित में लेते हुए ग्राम पंचायत मोखुन्दा द्वारा 100 फीट x 120 फीट का एक पटट्टा बनाया गया तथा उक्त पटट्टे की मिसल में प्रार्थी एवं प्रतापसिंह जी से लिखित सहमति लेते हुए बनाया गया था। इसी दौरान पशु चिकित्सालय की भूमि व प्रार्थी के मध्य विवाद हुआ और तब प्रार्थी द्वारा भूमि की नपती कराई गई तब प्रार्थी की जानकारी में यह आया कि पशु चिकित्सालय की संपूर्ण भूमि तो प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है इसके बाद प्रार्थी द्वारा संपूर्ण भूमियों की नपति कराई गई तब प्रार्थी की जानकारी में यह आया कि सहकारी समिति मोखुन्दा, आंगनबाड़ी व पशु चिकित्सालय की भूमिया जिन पर इनके निर्माण हो रखे हैं वह सभी तो प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज हैं। इसके बाद प्रार्थी के मन में बदनियती आ गई और वह गांव की बेशकीमती भूमियों पर कब्जा करने का प्रयास करता और जब भी गांव के व्यक्ति या पंचायत द्वारा

सहायक कलक्टर, जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
जिला राजसमन्द

उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता तो वह धमकी देता की, वह सरकारी समिति मोखुन्दा, पशु चिकित्सालय एवं आंगनबाड़ी की भूमियों पर जबरन कब्जा करेगा, इससे गांव का विकास रुक जाएगा परंतु प्रार्थी द्वारा कभी भी सहकारी समिति मोखुन्दा को भूमि खाली करने हेतु नहीं कहा और स्वयं जीवन भर सहकारी समिति के मालिक हक को मानता रहा। प्रार्थी की जानकारी में जब यह आया कि सरकारी समिति मोखुन्दा के लिए राज्य सरकार द्वारा गोदाम बनाने के लिए एक बहुत बड़ी राशि स्वीकृत कर दी हैं, तो उसने ग्राम पंचायत पर दबाव बनाना शुरू किया कि उसके नाजायज कब्जेशुदा भूमि पर प्रार्थी द्वारा अवैध निर्माण कर रखा है उसे एन.ओ.सी. प्रमाण पत्र प्रदान करावे नहीं तो वह सहकारी समिति मोखुन्दा की भूमि पर निर्माण नहीं करने देगा और उसका बजट भी लेप्स कर देगा और जब सरपंच द्वारा दबाव में आकर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया तो प्रार्थी जबरन ताकत के बल पर सरकारी समिति मोखुन्दा की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास शुरू कर दिया तथा उसके लिए उसने जबरन भूमि पर चद्दर डलवाए और कब्जा करने का प्रयास किया। प्रार्थी विबंध (एस्टोपल) सिद्वान्त से प्रतिबाधित है और वहां निरंतर विपक्षीगण के हक को मानता रहा है और अब उसे यह कतई अधिकार नहीं है कि वहां भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का अपना हक का दावा करें। विपक्षीगण निरंतर 50 वर्षो से भी अधिक समय से विवादग्रस्त भूमि पर काबीज हो उपयोग उपभोग कर रहे है इसलिए उसका कब्जा मुफाल खान (प्रतिकूल कब्जा) परिपक्व हो चुका है। जब सरकारी समिति की स्थापना हुई तब लगभग 30–40 गांवों को यह सरकारी समिति मोखुन्दा अपनी सेवाएं प्रदान करती थी और वर्तमान में 8 से 10 गांव को सरकारी समिति मोखुन्दा से सहायता प्राप्त होती है खाद बीज प्राप्त होते हैं वह अन्य सेवाएं प्राप्त करते हैं। प्रार्थी के मन में बदनीयति आ गई है और वह जबरन ताकत के बल पर भूमि पर कब्जा कर विपक्षीगण को बेदखल करना चाहते हैं जिसका प्रार्थी को कोई हक अधिकार नहीं है प्रार्थी भूमि अपने खाते दर्ज होने का फायदा उठा रहे हैं। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि विपक्षीगण के हक अधिकार व अधिपत्य की है और वह चलकर भूमि सरकारी समिति मोखुन्दा के नाम पर दर्ज करवाये परंतु प्रार्थी गांव की बेशकीमती भूमिया अपने नाम कराए बगैर सरकारी समिति मोखुन्दा को भूमि नाम पर नहीं करवाना चाहता हैं। इन परिस्थितियों में आवश्यक हो गया है कि पेरा संख्या एक में वर्णित भूमिया विपक्षीगण के हक अधिकार की घोषित किया जाना नितांत अनिवार्य हो चुका है अन्यथा विपक्षीगण अपने हकों से महरूम हो जाएगा तथा विपक्षीगण को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ में कतई संभव नहीं है। प्रार्थी भूमि अपने नाम दर्ज होने का फायदा उठा जबरन ताकत के बल पर भूमि पर कब्जा करना चाहते है तथा विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा कर सरकारी समिति मोखुन्दा को निर्माण को भी ध्वस्त करने पर आमादा है तथा प्रार्थी विपक्षीगण को उसके कब्जेशुदा भूमि से बेदखल करना चाहते हैं, जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नहीं है इसलिए प्रार्थी को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी जबरन ताकत के बल पर विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा कर लेगा और विपक्षीगण को भूमि से बेदखल कर देगा जिससे विपक्षीगण को ऐसी अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ में कतई संभव नहीं है। इन परिस्थितियों में यह भी आवश्यक हो चुका है की विपक्षीगण के पक्ष में और प्रार्थी के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह विवादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार से कब्जा नहीं करें, और ना ही

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

विपक्षीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करें एवं ना ही उसके निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करें, ना ही उक्त कार्य स्वयं करें, ना ही अपने नौकर चाकर एवं एजेंट से करवाये। प्रथम दृष्टिया मामला विपक्षीगण का शुद्ध होकर, सुविधा का संतुलन भी विपक्षीगण के पक्ष में है और यदि प्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो अपूर्णिय क्षति भी विपक्षीगण को ही होने वाली हैं, तीनों बिंदु प्रथम दृष्टिया और सुविधा का संतुलन और अपूर्णिय क्षति विपक्षीगण के पक्ष में है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि विपक्षीगण के पक्ष में और प्रार्थी के विरुद्ध का फैसला मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की वादपत्र की पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि में किसी प्रकार से विपक्षीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें, ना ही निर्माण में बाधा उत्पन्न करें, ना ही उसे बेदखल करें, ना ही उक्त कृत्य स्वयं करें, ना ही अपने नौकर चाकर व एजेंट से करवाए प्रतिप प्रार्थना पत्र के वकील मेहताना हरजा खर्चा विपक्षीगण को प्रार्थी से दिलवाया जावे अन्य अनुतोष जो विपक्षीगण के पक्ष में दिया जा सके दिया जावे ताहिर की समर्थन में विपक्षी का शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रति प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत किया कि कलम संख्या क में वर्णित तथ्य स्वीकार नही है। विपक्षीगण द्वारा मिथ्या एवं मनगढत तथ्यों पर प्रतीप प्रार्थना–पत्र पेश किया है, इसलिए उसमें सफलता मिलने की कोई संभावना नही है। कलम संख्या 1 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि जो ग्राम दातडा पटवार हल्का माद तहसील देवगढ में स्थित है, के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई पट्टा जारी नही किया गया है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के संबंध में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। कलम संख्या 2 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के संबंध में कोई भी लिखा–पंढी निष्पादित नहीं की गई है। कलम संख्या 3 का प्रार्थी से संबंधित नही, न ही प्रार्थी को जवाब की आवश्यकता है। कलम संख्या 4 गलत होकर अस्वीकार है। उक्त राशि ग्राम मोंखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा के संबंध में जारी की गई है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम दातडा पटवार हल्का माद तहसील देवगढ मे स्थित है व उक्त कृषि भूमि के संबंध में कोई भी राशि जारी नही की गई। कलम संख्या 5 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि जो ग्राम दातडा में स्थित है, उसमें विपक्षीगण अनाधिकृत प्रवेश कर कब्जा करने की नियत से प्रार्थी की भूमि मे लगे चद्दर तोड दिये व अनाधिकृत रूप से कृत्य किये, जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध पुलिस थाना आमेट में एक प्रकरण दर्ज करवाया, जो धारा 324(4), 329(3), 189 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 है, जिसके प्रथम सूचना संख्या 302 सन् 2025 है। कलम संख्या 6 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी की कृषि भूमि के संबंध में कभी भी सरकार द्वारा कोई भी राशि स्वीकृत नहीं करवाई गई है। कलम संख्या 7 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर प्रार्थी काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, लेकिन विपक्षीगण प्रार्थी को कब्जे से बेदखल कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे जबरन निर्माण कराने पर आमादा होकर प्रार्थी के कब्जे में अनाधिकृत प्रवेश कर चद्दर तोड कर नुकसान किया, जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा आप न्यायालय मे वाद पेश किया गया। कलम संख्या 8 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खातेदारी कृषि भूमि कय की है, तब से प्रार्थी काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। कलम संख्या 9 की कृषि भूमि विकय पंजीयन से प्रार्थी के पक्ष मे करवाना स्वीकार है। कलम संख्या 10 की प्रताप सिंह

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र प्रार्थी के पक्ष में करवाया था, तब से प्रार्थी काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहा है। विपक्षीगण, प्रार्थी को कब्जे से हटा कर निर्माण कार्य करवाने से प्रार्थी द्वारा न्यायालय मे वाद पेश किया है। कलम संख्या 11 गलत होकर अस्वीकार है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि मे अनाधिकृत प्रवेश कर निर्माण कार्य कर रहे है, जबकि प्रार्थी की भूमि के संबंध में जो कृषि भूमि ग्राम दातडा पटवार हल्का माद तहसील देवगढ में स्थित है, के संबंध में ग्राम पंचायत मोखुन्दा द्वारा पट्टा जारी नही किया जा सकता है तथा ग्राम पंचायत मोखुन्दा द्वारा स्वयं की आबादी भूमि के संबंध में पट्टा जारी किया जा सकता है, जबकि प्रार्थी की भूमि कृषि भूमि होकर खातेदारी भूमि है एवं प्रार्थी की भूमि ग्राम दातडा जिला राजसमंद में स्थित है, जिसके संबंध में पट्टा जारी नही किया गया है। समिति को जो पट्टा जारी किया गया है. वह पट्टा मोखुन्दा की आबादी भूमि के संबंध में जारी किया गया है। विपक्षीगण स्वयं के नाम पर पट्टशुदा भूमि पर निर्माण नहीं कर प्रार्थी की खातेदारी. भूमि जो ग्राम दातडा पटवार हल्का माद तहसील देवगढ़ में स्थित है, पर जबरन निर्माण कार्य करवाने को आमादा है व जबरन निर्माण कार्य कर रहे है। कलम संख्या 12 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी अपनी भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है. किन्तु विपक्षीगण प्रार्थी को बेकब्जा कर निर्माण कार्य करने पर आमादा है व जबरन निर्माण कार्य कर रहे है। कलम संख्या 13 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम दातडा पटवार हल्का माद तहसील देवगढ़ में स्थित है। कलम संख्या 14 गलत होकर अस्वीकार है। राज्य सरकार द्वारा ग्राम मोखुन्दा में स्थित सहकारी समिति के लिए राशि जारी की हो तो प्रार्थी को जानकारी नहीं है। प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम दातडा में स्थित है, जो राजसमंद जिले में आती है। विपक्षीगण प्रार्थी कब्जेशुदा कृषि भूमि पर जबरन निर्माण कार्य करने को आमादा है व जबरन निर्माण कार्य कर रहे है व विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के खातेदारी भूमि में लगे चद्दर भी गुण्डागर्दी के बल पर हटा दिये है। कलम संख्या 15 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी किसी भी विबन्ध सिद्धान्त प्रतिबाधित नहीं है। कलम संख्या 16 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी की कृषि भूमि पर विपक्षीगण का कभी कोई कब्जा नही रहा है। कलम संख्या 17 का प्रार्थी का किसी भी प्रकार से कोई लेना–देना नहीं है। कलम संख्या 18 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी की कृषि भूमि जो ग्राम दातडा पटवार हल्का माद तहसील देवगढ़ में स्थित है, उस पर सहकारी समिति के सदस्य जबरन कब्जा करना चाह रहे है व प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि से बेदखल करना चाह रहे है। सहकारी समिति मोखुन्दा को राजसमंद जिले के ग्राम दातडा की कृषि भूमि जो प्रार्थी के नाम पर दर्ज है, उस पर कानुनी रूप से कब्जा करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। कलम संख्या 19 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम दातडा में स्थित है, जिस पर विपक्षीगण गुण्डागर्दी व ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते है। कलम संख्या 20 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी की कृषि भूमि जो ग्राम दातडा पटवार हल्का माद तहसील देवगढ जिला राजसमंद मे राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी के नाम पर अंकित है, उसको विपक्षीगण हडपना चाहते है, जो कानुन में अवैध है। कलम संख्या 21 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी की कृषि भूमि जो ग्राम दातडा पटवार हल्का माद तहसील देवगढ जिला राजसमंद मे स्थित है, उस पर विपक्षीगण जबरन ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते है व प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल करना चाहता है. जिसका कोई हक, अधिकार सहकारी समिति मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा को नहीं है।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

प्रार्थी की कृषि भूमि के संबंध में विपक्षीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना आवश्यक है, अन्यथा विपक्षीगण ताकत व गुण्डागर्दी के बल पर प्रार्थी की कृषि भूमि पर कब्जा कर लेगे व प्रार्थी को बेदखल कर देगे, जिससे प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति अर्थ मे कतई संभव नहीं है। कलम संख्या 22 गलत होकर अस्वीकार है। विपक्षीगण सहकारी समिति मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा को प्रार्थी की कृषि भूमि जिसके आराजी नम्बर 693 रकबा 0.1000 हैक्टर ग्राम दातडा पटवार हल्का माद तहसील देवगढ जिला राजसमंद के संबंध में विपक्षीगण के विरूद्व एवं प्रार्थी के पक्ष में इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि पर विपक्षीगण किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं करे, न ही प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करे, न ही निर्माण कार्य करे, न ही उक्त कार्य स्वयं करे, न ही अपने नौकर–चाकर, एजेन्ट से करवावें। कलम संख्या 23 गलत होकर अस्वीकार है। वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम दातडा पटवार हल्का माद तहसील देवगढ जिला राजसमंद मे राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी के नाम पर दर्ज है। प्रथम दृष्टिया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में है, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है और यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद नही किया गया, तो अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थी को होने वाली है, तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि विपक्षीगण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर विपक्षीगण किसी भी प्रकार से निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। विपक्षीगण का प्रार्थना–पत्र सव्यय खारिज होकर निरस्त होने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गयाः–

चुन्नी लाल राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि में चुन्नी लाल सहखातेदार के रूप में दर्ज है बहस में दोनों पक्षों ने भी स्वीकार किया है कि ग्राम दांतडा पटवार हल्का माद तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के वादग्रस्त आराजियात 693 में ग्राम सेवा सहकारी समिति मौखुन्दा के भवन का निर्माण पूर्व से ही हो रखा है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस बताया कि ठिकानेदार प्रताप सिंह ने उक्त जमीन दान की थी एवं रसीद पेश की जिसमें ग्राम सेवा सहकारी समिति मौखुन्दा ने सहमति नहीं दी थी। जहां तक दान का विषय है तो सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम 1882 की धारा 122 में "दान" शब्द को परिभाषित किया गया है–

"Gift" defined – "Gift" is the transfer of certain existing moveable or immovable property made voluntarily and without consideration, by one person called the donor, to another, called the donee, and accepted by or on behalf of the donee.

भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 में दान विलेख का पंजीयन होना आवश्यक है अप्रार्थीगण द्वारा जो कागजात पेश किए है वह ना ही दान से संबंधित है और ना ही पंजीबद्व है।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किए जो उक्त प्रार्थना पत्र पर चस्पा नहीं होते है।

सहायक कलक्टर, जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

मूल दावा धारा 188 काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दायर किया गया है जिसमें स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। जैसा कि भूमि पर कब्जा एवं स्वामित्व का विषय मूल दावें में ही तय हो सकते है। हस्तगत प्रार्थना पत्र में तीनों शर्तों:–

प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के मार्गदर्शन सिद्धान्तों पर निर्णय दिया जाना है।

उपरोक्त समग्र विवेचन से यह पाते है कि ग्राम दातडा पटवार हल्का माद के आराजी संख्या 693 रकबा 0.1000 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खातेदारी भूमि दर्ज है जिसमें प्रार्थी चुन्नीलाल सह–खातेदार के रूप में दर्ज है। वादग्रस्त आराजियात पर ग्राम सेवा सहकारी समिति मोखुन्दा का भवन बना हुआ है जो वर्षों पूर्व से बना हुआ है और उपयोग में आ रहा है और कुछ भू–भाग रिक्त/खाली पड़ा हुआ है। यद्धपि ग्राम सेवा सहकारी समिति के विवादित भूमि पर भवन निर्माण के संबंध में कोई स्वामित्व संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो फिर भी उक्त भवन के उपयोग में प्रार्थी द्वारा बाधा डालने का कोई हक निहित नहीं है इसके अलावा अप्रार्थीगण भी उक्त आराजियात में जो भूमि रिक्त/खाली है उसमें बिना विधिक अधिकार के निर्माण कार्य भी उचित नहीं है।

अतः उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण/विपक्षीगण द्वारा प्रति प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी द्वारा, अप्रार्थीगण के पूर्व निर्मित भवन में आवागमन और उपयोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे साथ ही प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण (उभय पक्ष) ग्राम दांतडा पटवार हल्का माद तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के आराजी संख्या 693 के खाली भू–भाग पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये कोई नवीन निर्माण नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 14/01/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

14/01/2026

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
सहायक कलक्टर देवगढ़
जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)